(Authorative English text of this Department notification No:Home-C (A)-3-3/2007dated 07-07-2007 as required under clause 3 of the Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh Department of Home.

No.Home-C(A)3-3/2007 Dated Shimla-2,the

7th July, 2007.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 8 of the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2006 (Act No.5 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Rules for carring out the provisions of the Act, namely:-

Short title

- 1 (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Freedom of Religion Rules, 2007.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

Definitions

- 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires:-
 - (a) 'Act' means the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2006 (Act No.5 of 2007);
 - (b) 'Form' means form appended to these rules;
 - (c) 'Government' means the Government of Himachal Pradesh; and
 - (d) 'State' means the State of Himachal Pradesh.
 - (2) All other words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

Notice before conversion

- 3. (1) Any person domiciled in the State, intending to convert his religion, shall give a notice to the District Magistrate of the District in which he is permanently resident, prior to such conversion, in Form- A.
 - (2) The District Magistrate shall cause all notices received under sub-rule (1) of rule 3 to be entered in a Register of Notices and Complaints of conversion in Form-B, and may within fifteen days from the receipt of said notice, get the matter enquired into by such agency as he may deem fit and record his findings as regards the particulars of notice given:

Provided that the person giving notice and any other person likely to be prejudicially affected shall be given adequate opportunity to associate himself with any such enquiry.

Inquiries in other cases

- 4. Where on the basis of any complaint or any information laid before him, the District Magistrate is of the opinion, for reasons to be recorded,-
 - (a) that force or inducement have been used or is likely to be used in any conversion within the local limits of his jurisdiction; or
 - (b) that a conversion has taken place without notice in contravention of the provisions of this Act, he may cause an inquiry to be made in the matter and proceed in the manner as provided in Rule 3.

Every such complaint so received shall be entered in the Register of Notices and Complaints of conversion in Form-B.

Registration and Investigation of Case.

5. If after enquiry under rule 3 or rule 4, as the case may be, the District Magistrate records a finding that a conversion has taken place or is likely to take place through the use of force or inducement or without the requisite notice, he shall enter the particulars of the case in the Register of Forced Conversion in Form-C and refer the case alongwith all material adduced during the course of the enquiry to the Police Station in which the person is resident or where the conversion is intended or done for registration of a case and its investigation.

Sanction for Prosecution.

6. If after investigating the matter, it appears that an offence under sub-section(2) of section 4 or under section 5 has been committed, the Investigating Officer shall place all relevant material before the authority empowered under section 7 to grant prosecution sanction and such sanction shall be granted or refused within a period of 7 days, giving reasons in writing.

Submission of report to the Government.

7. The District Magistrate of the each district in the State shall on the 10th of each month send to the State Government a report of intimations received by him in this respect during the preceding month in Forms D & E, as the case may be.

By order Principal Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh. No: Home-C-(A)-3-3/2007 Dated: 07-07-2007

Copy to following for compliance, necessary follow up action and information;

- 1. The Secretary Vidhan Sabha, Himachal Pradesh, Shimla-3
- 2. The Director-General of Police Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 3. The Director (Prosecution), Himachal Pradesh, Shimla-9.
- 4. All the District Magistrates in Himachal Pradesh.
- 5. All the Superintends of Police, in Himachal Pradesh.
- 6. Controller of Printing & Stationery, H.P. Shimla-5, for publication in the H.P.Rajpatra (Extra Ordinary).
- 7. Guard File.

Under Secretary (Home) to the Govt. of Himachal Pradesh

FORM- A

(see rule3(1)

NOTICE BEFORE CONVERSION FROM ONE RELIGIOUS FAITH TO ANOTHER

| ТО | | | | | | | | |
|------|-------------|-----------|--------------------------|------------|--------------------------|---------|------------|--------|
| | | | ne District Ma strict | _ | | | | |
| Sir, | | | | | | | | |
| | Ι, | | S/o/W/o/ | D/o | | | aged | |
| | R | ./O | | b | elonging | to So | cheduled | Caste |
| or | Scheduled | Tribe o | or General | category | intend | to | convert | from |
| | | | _ religious fa | ith to | | | _religious | faith |
| and | do hereby | declare | that the said | d conversi | ion is on | my | own wil | ll and |
| wit | hout use of | any force | or induceme | ent. My da | ate of bir | th is . | | |
| and | I am not a | minor. | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Pla | | | | C. | . , | C 41 | | |
| Dat | e: | | | | ignature o itending t | | | gion |

FORM-B (For cases under Sections 4(2) and (5) {see rule3(2)} REGISTER OF NOTICES AND COMPLAINTS OF CONVERSION

| Date of | Name and | Father's | Name and | Age. | Sex | Occupa-tion | Whether | Name of | If a minor, | Whether | Whether |
|---------|---------------|----------|---------------|------|-----|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| receipt | address of | name | full address | | | and monthly | married or | persons, if | name and | belongs to | inquiry |
| of | the person | | of the person | | | income of | un-married | any, | full address | Scheduled | conducted |
| notice | giving notice | | converting | | | the person | | depend-ent | of the | Caste or | or not, and |
| or | or | | | | | converted | | upon the | guardian, if | Scheduled | if |
| compl- | making | | | | | | | person | any | Tribe and if | conducted, |
| aint | complaint | | | | | | | converted | | so, | findings of |
| | | | | | | | | | | particulars | the inquiry |
| | | | | | | | | | | of such Caste | in brief. |
| | | | | | | | | | | or Tribe. | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| FORM-C (For cases under section 5) | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (see rule 5) | | | | | | | | |

REGISTER OF FORCED CONVERSION

| Date of | Name and | Father's | Name and | Age. | Sex | Occupa-tion | Whether | Name of | If a minor, | Who |
|---------|---------------|----------|---------------|------|-----|-------------|------------|-------------|--------------|--------|
| receipt | address of | name | full address | | | and monthly | married or | persons, if | name and | belo |
| of | the person | | of the person | | | income of | un-married | any, | full address | Sche |
| notices | giving notice | | converting | | | the person | | depend-ent | of the | Cas |
| or | or | | | | | converted | | upon the | guardian, if | Sche |
| compl- | making | | | | | | | person | any | Tribe |
| aint | complaint | | | | | | | converted | - | S |
| | _ | | | | | | | | | parti |
| | | | | | | | | | | of suc |
| | | | | | | | | | | or T |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |

FORM-D (Cases under section 5) (see rule7)

| No. of | No. of | Total No. | No. of i | No. of | |
|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|
| cases | notices/ | of pending | disposed | cases | |
| pending | complaints | inquiries | mo | pending at | |
| inquiry at | received | | Filed | the end of | |
| the end of | during | | Filed Sent for registration | | the month. |
| previous | month. | | | of case | |
| month. | | | | or case | |
| 1. | 2. | 3. | 4(a). | 4(b). | 5. |

FORM-E {Cases under section 4(2)} (see rule7)

| No. of | No. of | Total No. | No. of i | No. of | |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| cases pending | complaints received | of pending inquiries | disposed mo | cases pending at | |
| enquiry at | during | inquiries | | the end of | |
| the end of | month | | Filed | Sent for registration | the month |
| previous month | | | | of case | |
| 1. | 2. | 3. | 4(a). | 4(b). | 5. |

हिमाचल पद्रेश सरकार गृह विभाग

संख्याः गृह-सी (ए) 3-3/2007 तरीख शिमला-2 07जुलाई, 2007.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम,2006(2007 का 5) की धारा-8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने हेतू निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धर्म की नाम:- स्वतन्त्रता नियम,२००७ है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- परिभाषाएँ:- 2. (1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,:-
 - (क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम,२००६ (२००७ का 5) अभिप्रेत है;
 - (ख) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
 - (ग) ''सरकार'' से हिमाचल पद्रेश सरकार अभिप्रेत है; और
 - (घ) ''राज्य'' से हिमाचल पद्रेश राज्य अभिप्रेत है।
 - (2) उन समस्त शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।
- संपरिवर्तन 3. (1) राज्य में अधिवसित अपना धर्म संपरिवर्तित करने का से पूर्व आशय रखने वाला कोई व्यक्ति,ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व, सूचना प्ररूप-क में, उस जिला के जिला मजिस्ट्रेट को जहां वह स्थाई रूप से निवास करता है, सूचना (नोटिस) देगा।
 - (2) जिला मजिस्ट्रेट नियम-3 के उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त समस्त सूचनाओं को प्ररूप-ख, में संपरिवर्तन की सूचनाओं (नाटिसों) और शिकायतों के रिजस्टर में दर्ज करवायेगा, और उक्त सूचना की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर, ऐसे अभिकरण द्वारा, जैसा वह उचित समझे, मामले की जाँच करवा सकेगा तथा दी गई सूचना की विशिष्टियों की बाबत अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा।

परन्तु नोटिस देने वाले व्यक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना है, को ऐसी जाँच में उसके सहभागी होने के लिए प्रर्याप्त अवसर दिया जाएगा। ----2----

अन्य 4. मामलो में जाँच- जहाँ जिला मजिस्टेट की, किसी शिकायत या उसके समक्ष अधिकथित किसी सूचना के आधार पर, कारणों को अभिलिखित कर यह राय है कि:-

(क) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, किसी संपरिवर्तन में, बल प्रयोग या उत्प्रेरण हुआ है, इसकी सम्भापना हो; या

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बिना

मामले का 5. रजिस्ट्रीकरण और अन्वेषण सूचना के संपरिवर्तन हो चुका है, तो वह, मामले में जॉच करवा सकेगा और नियमों में यथा उपबंधित रीति में कार्यवाही कर सकेगा। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक शिकयत को प्ररूप-ख में संपरिवर्तन की सूचनाओं और शिकायतों के रजिस्टर में दज्र किया जाएगा। जिला मजिस्टेट. यथास्थिति.नियम-३ नियम-४ के अधीन जाँच के पश्चात्, कोई निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि बल के प्रयोग द्वारा या उत्प्रेरणा द्वारा या अपेक्षित सूचना के बिना संपरिवर्तन हो चुका है, तो वह, प्ररूप-ग में बलपूर्वक बलात संवरिवर्तन के रजिस्टर में मामले की विशिष्टियों को दर्ज करेगा तथा जाँच के दौरान प्रस्तुत किए गए समस्त तथ्यों (सामग्री) सिहत मामले को, उस पुलिस थाने को, जिसके अधीन वह व्यक्ति निवास करता है या जहाँ पर संपरिवर्तन होना आशयित हे या किया

अभियोजन 6. हेतू मंजूरी- यदि मामले का अन्वेषण (जाँच) करने के पश्चात् यह पाया जाता है कि धारा-4 की उप-धारा (2) ;या धारा-5 के अधीन अपराध किया गया है, तो अन्वेषण (जाँच) अधिकारी, धारा-7 के अधीन सशक्त प्राधिकारी के समक्ष समस्त सुंसगत तथ्य (सामग्री) को अभीयोजन मंजूरी प्रदान करने हेतू रखेगा और ऐसी मंजूरी, कारणों को अभिलिखित करते हुए 7दिन के भीतर स्वीकृत या अस्वीकत की जाएगी।

गया है, मामले के रजिस्ट्रीकरण और

अन्वेषण हेत् निर्दिष्ट करेगा।

सरकार 7. को रिर्पोट प्रस्तुत करना

राज्य के प्रत्येक जिला का जिला मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, इस बाबत उसके द्वारा पूर्ववर्ती मास के दौरान प्राप्त की गई सूचनाओं की रिपोंट प्ररूप-घ और ड, में प्रत्येक मास की 10 तारीख को राज्य सरकार को. भेजेगा।

> आदेश द्वारा प्रधान सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकनसंख्याःगृह-सी (ए) 3-3/2007 दिनांकःशिमला-2,07-07-2007 प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही व सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, शिमला-3 ।
- 2. महानिदेशक, पुलिस, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 ।
- 3 निदेशक,(अभियोजन) हिमाचल प्रदेश, शिमला-९ ।
- 4. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
- 5. समस्त पुलिस अधीक्षक,हिमाचल प्रदेश।
- 6. नियत्रंक, मुद्रण एवं लेखन, हिमाचल प्रदेश, शिमला को हि०प्र०राजपत्र (असाधारण) मे प्रकाशन करने हेतु।
- 7. रक्षक नस्ति।

अवर सचिव(गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार।

,,,,,,,,,,,,

प्ररूप-क (नियम-3(1) देखें)

| एक | धार्मिक | आस्था | (धर्म) | से | दूसरे | धार्मिक | आस्था | (धर्म) में | संपरिवर्तन | से |
|-------|---------|-------|--------|----|-------|---------|-------|------------|------------|----|
| पूर्व | | | | | | | | | | |
| सूचन | ПΙ | | | | | | | | | |

सेवा में,

| जिला | मजिस्ट्रेट, |
|-------|-------------|
| जिला- | |

महोदय,

| में पुत्र/पत्नी/पुत्री |
|--|
| आयु निवासी अनुसूचित जाति/ या |
| अनुसूचित जनजाति या सामान्य प्रवर्ग से सम्बन्धित धार्मिक |
| आस्था (धर्म) सेधार्मिक आस्था (धर्म) में संपरिवर्तन करने का |
| आशय रखता हूँ/रखती हूँ और एतद्द्वारा यह घोषणा काता हूँ / करती हूँ |
| कि उक्त संपरिवर्तन मेरी स्वय की (अपनी) इच्छा से है और किसी बल के |
| प्रयोग या उत्प्रेरणा के बिना है। मेरी जन्म तिथि है और मैं |
| अवयस्क नहीं हूँ। |

शिमलाः तारीखः

धर्म संपरिवर्तन करने का आशय रखने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर।

प्ररूप-ख (धारा-4(2) और (5) के अधीन मामलों के $\{$ नियम3(2) देखें $\}$ संपरिवर्तन सूचनाओं (नोटिसों) और शिकायतों का रजिस्टर

| सूचना (नोटिस) | रुचना | पिता | संपरिवर्तित | आयु | लिंग | संपरिवर्तित | विवाहित य | संपरिवर्तित | यदि | क्या |
|---------------|--------------|-------|--------------|-----|------|-------------|------------|-------------|---------|---------------|
| और शिकायत | (नोटिस) देने | का | न करने | | | व्यक्ति का | अविवाहित । | व्यक्ति पर | अवयस्क | अनुसृ |
| प्राप्ति की | वाले या | नाम । | वाले व्यक्ति | | | व्यवसाय और | | निर्भर | है, तो | अनुसृ जाति |
| तारीख | शिकायत | | का | | | मासिक | | व्यक्तियों | संरक्षक | अनुसृ |
| | करने वाले | | नाम और | | | आय। | | के नाम | यदि कोई | |
| | व्यक्ति का | | पता । | | | | | यदि कोई | है का | से |
| | नाम और | | | | | | | है। | नाम और | |
| | पता । | | | | | | | | पूरा | है, अ |
| | | | | | | | | | पता । | यदि |
| | | | | | | | | | | तो, र |
| | | | | | | | | | | जाति |
| | | | | | | | | | | जनज |
| | | | | | | | | | | की |
| | | | | | | | | | | विशि |
| | | | | | | | | | | ı |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |

प्ररूप-ग (धारा- 5 के अधीन मामले हेतू) ्र्रियम-5 देखे) बलपूर्वक संपरिवर्तन का रजिस्टर

| (नांटिसों) और शिकायत प्राप्ति की तारीख नाम और पता। ज्येक्त का नाम व पता। ज्येक्त का नाम चिक अविवाहित आय। जैहें है, तो, संरक्षक अविवाहित आय। है। जोई है। जोई है। जोई है। जोई है। जोई है। | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--------------|---------|------------|-----|------|------------|------------|---------------|-----------|-----------------|
| (नांटिसों) देने वाले नाम। करने वाले व्यक्ति का नाम व पता। जाम व पता। जाम और प्रा नाम और पता। | सृ | ्चनाओं | सूचना(नाटिस) | पिता का | संपरिवर्तन | आयु | लिंग | संपरिवर्तत | | संपर्रिवर्तित | यदि | क्या |
| शिकायत शिकायत जाम व पता। मासिक अविवाहित व्यक्तियों के , यदि कोई प्राप्ति की करने वाले तारीख व्यक्ति का नाम और पता। | (a | नांटिसों) | | नाम । | करने वाले | | | व्यक्ति का | विवाहित है | व्यक्ति पर | | अनुसूर् जाति |
| प्राप्ति की करने वाले तारीख व्यक्ति का नाम और पता। | 3 | ੀ ਟ | या | | व्यक्ति का | | | | | निर्भर | | |
| तारीख व्यक्तिका नाम और पता। | र्श | ाकायत | शिकायत | | नाम व पता। | | | मासिक | | | , यदि कोई | अनुसूरि |
| तारीख व्यक्तिका नाम और पता। | प्र | ाप्ति की | करने वाले | | | | | आय। | है। | | | जनजा |
| पता। | | | | | | | | | | कोई है। | और पूरा | सम्बन्धि |
| | | | नाम और | | | | | | | | पता । | है, औ |
| | | | पता । | | | | | | | | | यदि ह |
| | | | | | | | | | | | | ऐसी व |
| | | | | | | | | | | | | और ज |
| | | | | | | | | | | | | जाति । |
| | | | | | | | | | | | | विशिषि |
| 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |

प्ररूप–घ (धारा–5 के अधीन मामले) (नियम 7 देखें)

| पूर्ववर्ती मास के अन्त तक जांच हेतू लम्बित मामलों की संख्या । | मास के दौरान प्राप्त की गई सूचनाओं /शिकायतों की संख्या । | लम्बित जांचों की कुल संख्या । | | निपटायी जांचों की ख्या । मामले को रजिस्ट्रीकरण हेतू भेजा गया । | मास के अन्त तक लम्बित मामलों की संख्या । |
|---|---|-------------------------------------|---------------|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4 (क). | 4(ख). | 5. |

प्ररूप—ङ {धारा 4 (2) के अधीन मामले} (नियम 7 देखे)

| (11417 44) | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------|
| पूर्ववर्ती मास | मास के | लम्बित जांचों | मास के दौरान निपटाई जांचों | | मास के अन्त |
| के अन्त तक | दौरान प्राप्त | की कुल | की संख्या । | | तक लम्बित |
| जांच हेतू | की शिकायतों | संख्या | | | मामलों की |
| लम्बित मामलो | की संख्या । | | | | संख्या । |
| की संख्या । | | | फाईल की | मामले को | |
| | | | गई । | रजिस्ट्रीकरण | |
| | | | | हेतू भेजा | |
| | | | | गया । | |
| 1. | 2. | 3. | 4(क). | 4(평). | 5. |

Filename: Authorative English text of this Department notification No

Directory: C:\Documents and Settings\home c\My Documents
Template: C:\Documents and Settings\home c\Application

Data\Microsoft\Templates\Normal.dot

Title: (Authorative English text of this Department notification

No:Home-C (A)-3-3/2007dated 07-07-2007 as required under clause 3 of the

Article 348 of the Constitution of India

Subject:

Author: home c

Keywords: Comments:

Creation Date: 8/28/2007 2:25:00 PM

Change Number: 6

Last Saved On: 8/28/2007 3:05:00 PM

Last Saved By: home c Total Editing Time: 38 Minutes

Last Printed On: 8/28/2007 3:21:00 PM

As of Last Complete Printing

Number of Pages: 14

Number of Words: 2,365 (approx.) Number of Characters: 13,485 (approx.)